

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साइट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/रिव्यू ऑफ एम.पी.(55)/14/2866 दिनांक:- 26.03.18

-कार्यालय आदेश-

पिछले कुछ दशकों से शहरी जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। नगरीय विस्तार की तीव्र गति के परिणामस्वरूप अनेक शहरी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें अव्यवस्थित भू-उपयोग व शहरी फैलाव, आवासों की कमी, संचार एवं यातायात संबंधी समस्या आदि प्रमुख हैं। किसी भी नगर के सुनियोजित विकास हेतु उक्त समस्याओं का निराकरण अतिआवश्यक है। उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु दूरगामी योजना होना आवश्यक है। जोनल डवलपमेंट प्लान के माध्यम से मास्टर प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन कर सुनियोजित विकास किया जाना आवश्यक है।

जोनल डवलपमेंट प्लान विकास को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए विस्तृत नियम और दिशा-निर्देश प्रदान करता है और नगरीय विकास को नियोजित तरीके से बढ़ावा देता है। नागरिकों के सतत विकास हेतु समस्त आधारभूत सुविधाएँ स्थानीय पट्टे में उपलब्ध कर लाभान्वित किये जाने हेतु उक्त सुविधाओं का जोनल डवलपमेंट प्लान चिन्हिकरण किया जाना प्रमुख उद्देश्य है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/रिव्यू ऑफ एम.पी./14/2519 दिनांक 10.01.2018 के द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में जहाँ मास्टर प्लान लागू है, Zonal Development Plans तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के तहत Zonal Development Plan तैयार किये जाने की क्रियान्विति भी निर्धारित की गई है। उक्त आदेशों के क्रम में उल्लेखित है की जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु प्रत्येक निकाय की Zone Boundary निदेशालय स्तर पर Delineate कर आगामी कार्यवाही निकाय स्तर पर की जानी है। Zonal Development Plan में पूर्व में लागू मास्टर प्लान के भू-उपयोग प्लान पर Superimpose कर प्रमुख भू-उपयोग यथावत् रखते हुये शेष क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान, केन्द्र के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की URDPFI Guidelines के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर मूलभूत, आधारभूत, भौतिक व सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं। नगरीय निकाय द्वारा प्रत्येक जोन के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएँ विकसित किये जाने हेतु भूमि चिन्हित की जावेगी। इस हेतु प्रथमतया संभव व विद्यमान भू-उपयोग के विश्लेषण पश्चात् आवश्यक सुविधाओं का आकलन किया जावेगा एवं तदनुसार प्रस्तावित भूमि चिन्हित की जावेगी। भूमि चिन्हिकरण हेतु जोन में स्थित राजकीय भूमि को प्राथमिकता दी जावेगी एवं राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं होने पर निजी भूमि धारक की सहमति से निजी भूमि चिन्हित की जावेगी।

44
डीआरएस
राजस्थान सरकार, जयपुर

URDPFI Guidelines अनुसार आधारभूत सेवाओं का विश्लेषण निम्नानुसार है।

1.3 प्रस्तावित यातायात संरचना(Transport & Circulation)

1.4 विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार हेतु निर्धारित मानक स्तर।

क्र. सं.	सड़क का प्रकार	अधिकतम डिजाइन स्पीड (किमी/घण्टा)	न्यूनतम स्पेस स्टेण्डर्स (मी.)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग (बाईपास, एन. एच. व एस.एच.)	80	60 मार्गाधिकार व 30 मी. वृक्षारोपण पट्टी
2.	प्रमुख सड़क (Arterial Road)	50	30-36
3.	उप प्रमुख सड़क (Sub. Arterial Road)	50	24-30
4.	पहुंच मार्ग	30	12-24
5.	आन्तरिक सड़क	10-20	09-12

1.5 फुटपाथ

विभिन्न भू-उपयोग अनुसार फुटपाथ की आवश्यक चौड़ाई-

क्र. सं.	विवरण	न्यूनतम चौड़ाई (मी.)
1.	आवासीय/मिश्रित उपयोग क्षेत्र हेतु पैदल पथ (फुटपाथ) की न्यूनतम चौड़ाई	1.8
2.	वाणिज्यिक/मिश्रित उपयोग क्षेत्र के समक्ष	2.5
3.	व्यवसायिक (Commercial Shopping) क्षेत्र के समक्ष	3.5-4.5
4.	बस स्टोप	3
5.	अत्यधिक उपयोग वाले व्यवसायिक क्षेत्र	4

1.3 साइकल ट्रैक

वर्ग	प्रमुख सड़क	उप प्रमुख सड़क	पहुंच मार्ग	सड़कों का उपयोग
गैर मोटर चलित वाहन	पृथक साइकिल पथ	पृथक साइकिल पथ	साइकिल लेन	मिश्रित/ट्रैफिक
स्थान	सड़क/पार्किंग व फुटपाथ के मध्य (सड़क के किनारे)	सड़क/पार्किंग व फुटपाथ के मध्य (सड़क के किनारे)	सड़क के किनारे फुटपाथ/पार्किंग के लगते हुये	
चौड़ाई	2.2-5.0 मीटर	2.2-5.0 मीटर	1.5-2.5 मीटर	मिश्रित/ट्रैफिक
न्यूनतम चौड़ाई	2.5 मीटर दोहरे ट्रैक हेतु व 1.9 मी. एकल ट्रैक और फुटपाथ सहित	2.5 मीटर दोहरे ट्रैक हेतु 1.9 मी. एकल ट्रैक और फुटपाथ सहित	1.5 मीटर	1.00 मीटर

2.0 आधारभूत सुविधाएँ (Infrastructure Facilities)-

किसी भी शहरी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता सामाजिक, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पहुंच पर निर्भर करती है। इनमें निम्नलिखित आधारभूत संरचना शामिल है।

सामाजिक आधारभूत सुविधाएँ -

- (x) शैक्षणिक सुविधाएँ
- (xi) स्वास्थ्य सुविधाएँ
- (xii) सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाएँ
- (xiii) मनोरंजन की सुविधाएँ
- (xiv) खेल सुविधाएँ
- (xv) वितरण सेवाएँ
- (xvi) सुरक्षा सुविधाएँ
- (xvii) सामुदायिक केन्द्र
- (xviii) बैंक आदि।

2.1 शैक्षणिक-

क्र. सं.	वर्ग	छात्रों की संख्या	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल	टिप्पणी
1.	प्री प्राइमरी, नर्सरी विद्यालय	-	2500	0.08 है०	संभवतः पार्क के समीप
2.	प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5)	500	5000	0.40 है०	न्यूनतम 18X36 मी. के प्ले ग्राउण्ड के साथ
3.	मध्यमिक व उच्च मा. विद्यालय (कक्षा 6-12)	1000	7500	1.8 है०	संभवतः 68X126 मी. के प्ले ग्राउण्ड के साथ
4.	दिव्यांग छात्रों हेतु स्कूल	400	4500	0.7 है०	पार्क अथवा खेल मैदान के समीप स्थित

2.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ-

क्र. सं.	वर्ग	बेड संख्या	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल
1.	डिस्पेंसरी	-	15000	0.08-0.12 है०
2.	नर्सिंग होम, बाल कल्याण एवं मातृत्व केन्द्र	25-30	45,000-1,00,000	0.20-0.30 है०
3.	परिवार कल्याण केन्द्र	स्थिति अनुसार	50,000	500-800 वर्गमीटर
4.	डायग्नोस्टिक सेंटर		50,000	500-800 वर्गमीटर

2.3 सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाएँ

क्र. सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल
1.	आंगनवाड़ी	5000	200-300 वर्गमी.

2.	सामुदायिक केन्द्र	5000	750 व.मी.
3.	सामुदायिक केन्द्र व बारात घर, पुस्तकालय आदि	15,000	2000 व.मी.
4.	धार्मिक स्थल	5000	400 व.मी.
5.	कब्रिस्तान, शमशान		4000 व.मी.

कब्रिस्तान व शमशान संभवतः परिधि नियंत्रण क्षेत्र में प्रस्तावित हो। उक्त स्थल के साथ संबंधित सुविधाएँ जैसे कि धार्मिक स्थल, खुला क्षेत्र, जन उपयोगी सुविधाएँ आदि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएँ।

2.4 आमोद-प्रमोद स्थल

क्र. सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल
1.	प्रत्येक आवासीय इकाई क्षेत्र पर प्रस्तावित प्ले ग्राउण्ड	5000	5000 व.मी.
2.	प्रत्येक जोन पर प्रस्तावित प्ले ग्राउण्ड	15,000	1.5 है०

2.5 पुलिस व नागरिक सुरक्षा सेवाएँ

क्र. सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल
1.	पुलिस चौकी	40000-50000	0.16 है०
2.	पुलिस स्टेशन	90000	1.5 है०
3.	ट्रैफिक पुलिस नियंत्रण कक्ष	आवश्यकतानुसार	स्थिति अनुसार
4.	पुलिस बुथ (प्रमुख चौराहें)	आवश्यकतानुसार	10-12 व.मी.
5.	फायर स्टेशन/फायर पोस्ट	प्रति 3-4 किमी. की परिधि में एक इकाई	0.6 है०

2.6 वितरण सेवाएँ

2. पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन जोनल डवलपमेंट प्लान में निम्नानुसार क्षेत्रों में अनुज्ञेय होंगे।
 - (vii) सामुदायिक केन्द्र (फिलिंग स्टेशन मात्र)
 - (viii) आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र
 - (ix) नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे
 - (x) विकसित ग्रामीण क्षेत्र
 - (xi) Freight Complex
 - (xii) प्रमुख सड़कें

2.7 अन्य वितरण सेवाएँ

क्र.सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल	विवरण
1.	एल.पी.जी. गोदाम/गैस गोदाम	40000-50000	520 व.मी. (क्षमता = 500 सिलेन्डर अथवा 8000 किलो एल.पी.जी.)	उक्त क्षेत्र आवासीय क्षेत्र से दूर प्रस्तावित होना आवश्यक है एवं क्षेत्र के चारों तरफ खुला क्षेत्र होना आवश्यक है।
2.	दुग्ध वितरण/डेयरी	500	150 व.मी.	-

फायर स्टेशन और अन्य अग्निशमन सुविधाओं हेतु दिशा-निर्देश-

6. फायर स्टेशन ऐसे क्षेत्र में स्थित होना आवश्यक है जिससे कि दमकल सेवा अधिकतम 3-4 मिनट में आपदा स्थल पर पहुंच सकें।
7. फायर स्टेशन संभवतः कॉर्नर भूखण्ड व मुख्य सड़क पर स्थित होना चाहिए एवं दो निकास द्वार होना आवश्यक है।
8. नये विकसित क्षेत्र में फायर हाईड्रेंट के लिए भूमिगत पाइपलाईन की प्रस्तावित किये जाने का प्रावधान रखा जाये।
9. जिन क्षेत्रों में फायर स्टेशन स्थापित करना (अतिसघन क्षेत्र) संभव नहीं है वहां भूमिगत अथवा स्थल पर फायर हाईड्रेंट व पानी की पाइपलाईन का आवश्यक रूप से प्रावधान रखा जाये।
10. फायर एजेंसी द्वारा अग्निशमन प्रावधान करने से पूर्व अग्निशमन कार्यालय द्वारा स्वीकृति ली जानी आवश्यक होगी।

3.0 आर्थिक व सामाजिक सुविधाएँ-

- (iii) Formal Sector
- (iv) Informal Sector

3.1 वाणिज्यिक/व्यवसायिक संरचना

क्र. सं.	वर्ग	लाभान्वित जनसंख्या प्रति यूनिट	क्षेत्रफल	दुकानों की संख्या
1.	स्थानीय (लोकल) बाजार	5000	15000 वर्ग मी.	1-110 व्यक्ति
2.	स्थानीय बाजार मय सर्विस सेन्टर आदि	15000	46000	1-200 व्यक्ति
3.	साप्ताहिक बाजार	1 या 2 स्थान प्रति 1 लाख	0.40 है०	
4.	Informal Spaces/Vending Zone	सर्वे के आधार पर उपलब्ध संख्या हेतु	आवश्यकतानुसार	

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग -

3. पार्किंग व अन्य खुले क्षेत्र वाणिज्यिक केन्द्र में इस प्रकार से प्रस्तावित हो जिससे की अन्य समय में वहां साप्ताहिक बाजार लगाया जा सकें।
 4. इन्फोरमल सेक्टर के साथ ठोस कचरा प्रबंधन व अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ प्रस्तावित हो।
- प्रस्तावित क्षेत्रीय प्लान में व्यवसायिक जोन में अनुज्ञेय गतिविधियाँ-खुदरा व्यापार, इन्फोरमल शॉपिंग, वाणिज्यिक कार्यालय, सिनेमा, होटल, अतिथि गृह, बैंक, एटीएम, नर्सिंग होम, समागार, पुस्तकालय, साप्ताहिक बाजार, स्थानीय सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सब-फायर स्टेशन, शॉपिंग सेन्टर।

3.2 शहरी फुटकर व्यापार हेतु मापदण्ड-

क्र.सं.	स्थान	अनुज्ञेय इकाई
1.	खुदरा व्यापार केन्द्र	प्रत्येक 10 दुकानों पर 3-4 इकाई
2.	सरकारी व वाणिज्यिक संस्था	प्रत्येक 1000 कर्मचारी पर 5-6 इकाई
3.	थोक व्यापार केन्द्र व फ्रेट कॉम्प्लेक्स	प्रत्येक 10 दुकानों पर 3-4 इकाई
4.	अस्पताल	100 बेड पर 3-4 इकाई
5.	बस टर्मिनल	1 इकाई प्रति 2 बस
6.	विद्यालय	
	प्राथमिक विद्यालय	3-4 इकाई

	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक	5-6 इकाई
7.	पार्क	2-3 इकाई
8.	आवासीय क्षेत्र	1 इकाई/1000 जनसंख्या पर
9.	औद्योगिक क्षेत्र	5-6 इकाई प्रति 1000 कर्मचारी
10.	रेल्वे स्टेशन	स्थिति अनुसार

❖ (उपरोक्त सारणियों में दर्शित जनसंख्या वर्तमान में Projected Population के आधार पर मानी जावे)

वेडिंग जोन का सीमांकन-जोनल डवलपमेंट प्लान में वेडिंग जोन, प्रतिबंधित वेडिंग जोन व गैर प्रतिबंधित वेडिंग जोन की सीमा निर्धारण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।

4.0 ग्रीन एरिया डवलपमेंट

4.1 शहरों में न्यूनतम 15 प्रतिशत ग्रीन कवर विकसित किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार करना।

4.1.1 प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थित पार्क को विकसित किया जावे एवं पार्कों एवं खुले स्थलों पर जन सहयोग से सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। मास्टर प्लान में प्रस्तावित पार्क/खुले स्थल हेतु आरक्षित भूमि को चिह्नित कर पीपीपी मॉडल अथवा अन्य उपयुक्त साधनों से विकसित किया जावे एवं इनमें सघन वृक्षारोपण किया जावे।

4.1.2 नगरीय क्षेत्रों में स्थित प्रमुख सड़कों के सहारे-सहारे एवं मध्य(Median)में सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4.2 प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक बालोद्यान प्रतिवर्ष विकसित किया जावे

4.2.1 नगरीय क्षेत्र में स्थित शहर के प्रमुख पार्क को सैन्ट्रल पार्क के रूप में विकसित किया जावे तथा सैन्ट्रल पार्क में बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु समुचित सुविधाएं विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4.2.2 नगरीय क्षेत्र में स्थित योजनाओं में उपलब्ध पार्कों को सुविबद्ध किया जावे तथा प्रत्येक योजना में प्रति वर्ष कम से कम एक पार्क बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु आवश्यक सुविधा युक्त रूप से विकसित किया जावे।

टिप्पणी -

4. समस्त नगरीय निकायों के जी.आई.एस. आधारित बेसमैप निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, के माध्यम से तैयार किये गये हैं। संबंधित निकाय विभागीय स्तर पर निदेशालय की आयोजना शाखा से बेसमैप प्राप्त कर जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किया जाना सुनिश्चित करावे, जिसमें आवासन और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश/मानक (Formulation of GIS based Master Plans) के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं की शेपफाईल (shape files) बना कर दर्शाया जाना अनिवार्य है।

(v) सभी प्राकृतिक एवं भौतिक विशेषताएं जैसे कि-सड़के, रेल्वे लाईन, नहर, नदी, जल निकास, वन आवरण इत्यादि।

(vi) सभी सार्वजनिक सेवाएं जैसे कि -गैस, टेलीफोन, सीवर लाईन, सोलिड वेस्ट डिस्पोजल साईट, विद्युत लाईन आदि सभी का चिह्निकरण।

(vii) सभी नक्शे जैसे कि राजकीय भूमि, नगरीय निकाय की भूमि, घारागाह भूमि, राजस्व नक्शे, म्यूनिसिपल वॉर्ड सीमा आदि।

(viii) मास्टर प्लान के भू-उपयोग का सुपरइम्पोजिशन जी.आई.एस. प्लेटफॉर्म पर किया जावे।

5. मास्टर प्लान के प्रमुख भू-उपयोग जैसे कि सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, वृक्षारोपण पट्टी, आदि को यथावत रखा जावे।

6. जोनल डवलपमेंट प्लान राज्य एवं केन्द्र सरकार की निम्न नीतियों, अधिसूचना आदि के परिपेक्ष में तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- (ix) मास्टर प्लान
 - (x) एकीकृत भवन विनियम-2017
 - (xi) नगर पालिका अधिनियम-2009
 - (xii) हैरिटेज मैनेजमेंट प्लान
 - (xiii) टाउनशिप पॉलिसी-2010
 - (xiv) मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015
 - (xv) भू-आवंटन नीति-2015
 - (xvi) केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न प्रस्तावित योजनाएँ यथा अमृत, स्मार्ट सिटी, हाउसिंग फॉर ऑल, NULM, HRIDAY आदि।
7. जिन नगरीय निकायों में पूर्व में विकसित आबादी क्षेत्रों में नियमानुसार प्रस्तावित भू-उपयोग जैसे कि- अस्पताल, विद्यालय, होटल, आदि के निर्धारित मापदण्ड (सड़क की चौड़ाई, न्यूनतम भूखण्ड माप, आदि) पूर्ण नहीं होते हैं वहां उक्त जनउपयोगी सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित मापदण्ड में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
8. जिन निकायों में उपरोक्त आधारभूत सुविधाएँ की उपलब्धता हेतु पर्याप्त राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां शहर के निजी भूमि धारकों को भूमि उपलब्ध करवाने हेतु प्रोत्साहित किया जावे। इस बाबत निजी भूमि धारकों को अन्यत्र राज्य सरकार के विभिन्न नीतियों में शिथिलता बैटरमेंट लेवी, भू-रूपान्तरण व भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट व निर्धारित समयावधि में शिथिलता आदि प्रदान कर लाभान्वित किया जा सकता है।
9. जोन में यदि नदी व प्राकृतिक जल स्रोत यथा- तालाब, झील, River/Conservation Zone/Plantation Belt आदि हो वहां इकोलोजिकल जोन चिह्नित किया जाना होगा। उक्त जोन में रिवर फ्रन्ट कॉरीडोर व आमोद-प्रमोद जैसे- खुले स्थल, क्रिडा स्थल, अर्द्धसार्वजनिक मनोरंजन स्थल प्रस्तावित किये जाने होंगे।
- अतः समस्त नगरीय निकायों को पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/रिव्यू ऑफ़ एम.पी./14/2519 दिनांक 10.01.2018 व उपरोक्त Guideline(दिशा-निर्देशिका) के अनुसार जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ.59 एसटीपी/डीएलबी/रिव्यू ऑफ़ एम.पी.(55)/14/2067-19 दिनांक:- 26.03.18

- प्रतिलिपी निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
 3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
 4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
 5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
 6. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
 7. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
 8. क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर।
 9. उप नगर नियोजक, अलवर एवं भरतपुर।
 10. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/

भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।

11. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
12. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाइट पर अपलोड करावें।

AK 26/08/2018

(आर.के. विजयवर्गीय)

अति. मुख्य नगर नियोजक

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
नियोजक, नगरीय विकास विभाग
राजधानी सचकार, भरतपुर